

फर्द अहकाम

न्यायालय : सेशन न्यायाधीश दौसा

उनवान : रामकिशन बनाम दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड

किस्म मुकदमा : दाण्डिक अपील संख्या-139/2025

सीएनआर नंबर : RJDS010013832025

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुआ।
14.08.2026	अपीलार्थी/अभियुक्त रामकिशन असालतन उपस्थित, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण मीणा उपस्थित नहीं, उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरचंदा मीना उपस्थित। श्री बजरंग लाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक असालतन की ओर से उपस्थित। इस पत्रावली में बहस अंतिम में 09-10 अवसर दिये जा चुके हैं। बहस अंतिम के समय अपीलार्थी राजीनामा करने का कथन करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी बहस अंतिम नहीं करना चाहता है। फिर भी न्यायहित में पत्रावली बहस अंतिम हेतु दिनांक 17.08.2026, 18.08.2026, 19.08.2026, 20.08.2026, 21.08.2026 में नियत की जाती है। परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय दिनांक 24.08.2026 को निर्णय पारित कर देगा। अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह आगामी पेशी पर धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बीस-बीस हजार रुपये के जमानत मुचलके पेश करें। पत्रावली वास्ते पेश होने धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत मुचलके व बहस अपील हेतु सर्वप्रथम दिनांक 17.08.2026 को पेश हो। केशव कौशिक (UID No. 13832025)	रामकिशन विद्वान (हरचंदा मीणा) ग्राहक